



मध्यप्रदेश विधान सभा
संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)
सोमवार, दिनांक 7 जनवरी, 2019 (17 पौष, शक संवत् 1940)
विधान सभा पूर्वाह्न 11:03 बजे समवेत हुई.
सामयिक अध्यक्ष महोदय (श्री दीपक सक्सेना) पीठासीन हुए.

1. राष्ट्रगीत 'वन्दे मातरम्' का समूहगान

सदन की कार्यवाही राष्ट्रगीत 'वन्दे मातरम्' के समूहगान से प्रारम्भ हुई.

2. पंचदश विधान सभा के लिए निर्वाचित सदस्यों का स्वागत तथा मौन धारण

पंचदश मध्यप्रदेश विधान सभा की प्रथम बैठक के पावन अवसर पर सामयिक अध्यक्ष महोदय द्वारा ये विचार व्यक्त किये गये :-

“आज हम एक महत्वपूर्ण एवं पुनीत अवसर पर एकत्रित हुए हैं. सर्वप्रथम मैं, पंचदश मध्यप्रदेश विधान सभा के लिये नव निर्वाचित सदस्यों का हार्दिक स्वागत करता हूँ. संविधान के अन्तर्गत यह नई विधान सभा निर्वाचित हुई है, जिस पर प्रदेश के विकास और जनता के कल्याण का गुरुत्तर दायित्व है. यह उपयुक्त होगा कि सभा की कार्यवाही प्रारंभ करने से पहले हम सब, जैसा कि ऐसे अवसर पर परंपरा रही है, खड़े होकर एक मिनिट का मौन रखें”.

(माननीय सदस्यों द्वारा एक मिनिट के लिए मौन धारण किया गया.)

3. सामयिक अध्यक्ष की नियुक्ति सम्बन्धी औचित्य का प्रश्न एवं अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री शिवराज सिंह चौहान, सदस्य द्वारा औचित्य का प्रश्न उठाया कि मैं अपनी आपत्ति प्रकट करना चाहता हूँ कि इस सदन की और संसद की सदैव से मान्य परम्परा रही है कि सदन के वरिष्ठतम सदस्यों में से किसी एक सदस्य को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है. माननीय मुख्यमंत्री संसद में खुद प्रोटेम स्पीकर रहे हैं और सन 2003 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो स्वर्गीय श्रीमती जमुना देवी प्रोटेम स्पीकर रही थीं. इस पर सामयिक अध्यक्ष महोदय ने उन्हें सूचित किया कि वे अपनी बात शपथ के उपरांत सदन में रख सकते हैं. श्री शिवराज सिंह चौहान, सदस्य ने अनुरोध किया कि मैं अपनी आपत्ति दर्ज कराकर बैठ जाऊंगा. इस सदन में अभी अनेक वरिष्ठतम सदस्य जिनमें सर्वश्री गोपाल भार्गव, के.पी. सिंह एवं बिसाहूलाल सिंह सदस्य थे. 8 बार के निर्वाचित सदस्य भी यहां मौजूद हैं उनके स्थान पर 4 बार के विधायक को परम्परा को तोड़ते हुए प्रोटेम स्पीकर बनाया है. मुझे नाम पर आपत्ति नहीं है, परम्परा को तोड़ने पर अपनी आपत्ति करता हूँ और सदन से अपेक्षा करता हूँ कि सदन की मान्य परम्पराओं को न तोड़ा जाए, उनको कायम रखा जाए.

डॉ. गोविन्द सिंह, ससंदीय कार्य मंत्री ने अवगत कराया कि ये परम्परा है लेकिन ये परम्परा हर जगह पर नहीं है और इस परम्परा का पालन माननीय प्रधानमंत्री जिसका नाम देते हैं और राष्ट्रपति महोदय उनको ही प्रोटेम स्पीकर बना देते हैं, इस पर माननीय पूर्व मुख्यमंत्री की आपत्ति संवैधानिक नहीं है. कौल एवं शकधर के नियम 180 को भी आप देख लें.

डॉ. नरोत्तम मिश्र, सदस्य ने सदन से अनुरोध किया कि ससंदीय कार्य मंत्री की बात सच है परन्तु मध्यप्रदेश में वरिष्ठतम सदस्य को प्रोटेम स्पीकर बनाने की परम्परा रही है. आप परम्परा तोड़ने का काम कर रहे हैं, ये घोर आपत्तिजनक है.

डॉ. गोविन्द सिंह, ससंदीय कार्य मंत्री ने सदन को सूचित किया कि प्रोटेम स्पीकर माननीय दीपक सक्सेना जी भी वरिष्ठ सदस्य हैं और 4 बार सदन के सदस्य रह चुके हैं और शपथ ग्रहण में इस तरह की आपत्ति नहीं ली जाती है अगर आपको कोई आपत्ति करनी थी तो शपथ के बाद की जानी थी. हमने कौल एवं शकधर के नियम एवं संवैधानिक परम्परा का पालन करते हुए ही राज्यपाल महोदय ने प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त किया है और राज्यपाल महोदय के आदेश हो जाने के बाद माननीय पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा इस तरह की आपत्ति करना उचित नहीं है एवं नियमों के विपरीत है.

सामयिक अध्यक्ष महोदय ने यह व्यवस्था दी कि – “यह परम्परा भी ठीक नहीं है कि सदस्य बिना शपथ लिए आपत्ति व्यक्त करें. शपथ उपरांत व्यक्त कथन का ही संज्ञान लिया जायेगा.”

4. पंचदश विधान सभा के लिये निर्वाचित सदस्यों की सूची पटल पर रखी जाना

सामयिक अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार, श्री ए.पी. सिंह, प्रमुख सचिव, विधान सभा ने विधान सभा निर्वाचन 2018 उपरान्त नवीन विधान सभा के गठन के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रेषित की गई अधिसूचना, जिसमें पंचदश मध्यप्रदेश विधान सभा के लिये निर्वाचित सदस्यों की सूची दी गई है, पटल पर रखी.

5. सभापति तालिका की घोषणा

सामयिक अध्यक्ष महोदय द्वारा मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 9 के उपनियम (1) के अधीन, निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए नाम निर्दिष्ट किया गया :-

- (1) श्री बिसाहूलाल सिंह
- (2) श्री घनश्याम सिंह
- (3) श्रीमती झूमा सोलंकी
- (4) श्री केदारनाथ शुक्ल
- (5) श्रीमती नीना वर्मा
- (6) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया

सामयिक अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि यह सभापति तालिका शपथ / प्रतिज्ञान ग्रहण करने के पश्चात् प्रभावशील होगी.

6. जन्मदिन की बधाई एवं शुभकामना

सामयिक अध्यक्ष महोदय, श्री बहादुर सिंह चौहान, श्री शिवराज सिंह चौहान, सदस्यगण द्वारा श्री यशपाल सिंह सिसौदिया, सदस्य, के जन्मदिन पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी गई.

7. शपथ / प्रतिज्ञान

सामयिक अध्यक्ष महोदय ने यह घोषणा की कि सर्वप्रथम श्री शिवराज सिंह चौहान तत्पश्चात् मंत्रिमण्डल के सदस्यगण एवं सभापति तालिका के लिए नियुक्त सदस्यगण शपथ ग्रहण करेंगे अथवा प्रतिज्ञान करेंगे. तत्पश्चात् शेष माननीय सदस्य का नाम पुकारे जाने पर निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक के अनुसार मेरे सामने आकर शपथ ग्रहण करेंगे अथवा प्रतिज्ञान करेंगे और प्रमुख सचिव की टेबल पर रखी सदस्य की नामावली पर अपने हस्ताक्षर करेंगे. जो माननीय सदस्यगण निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक अनुसार शपथ नहीं ले सकेंगे या प्रतिज्ञान नहीं कर सकेंगे, वे अन्त में पुनः पुकारे जाने पर शपथ या प्रतिज्ञान कर सकेंगे."

(अपरान्ह 1.31 बजे से 3.01 बजे तक अन्तराल)

सामयिक अध्यक्ष महोदय (श्री दीपक सक्सेना) पीठासीन हुए.

8. शपथ / प्रतिज्ञान (क्रमशः)

अपराहन 4.14 बजे विधान सभा की कार्यवाही 5 मिनट के लिये स्थगित की जाकर 4.25 बजे पुनः समवेत् हुई.

सामयिक अध्यक्ष महोदय (श्री दीपक सक्सेना) पीठासीन हुए.

तदनुसार, आज दिनांक 7 जनवरी 2019 को कुल 227 माननीय सदस्यगण (मंत्रीगण एवं सभापति तालिका के लिये नियुक्त सदस्यगण सहित) द्वारा शपथ ग्रहण / प्रतिज्ञान किया गया तथा सदस्य नामावली में हस्ताक्षर किये गये.

अपराहन 4.27 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 8 जनवरी, 2019 (18 पौष, शक सम्वत् 1940) के पूर्वाहन 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

भोपाल:
दिनांक: 7 जनवरी, 2019

ए. पी. सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा